



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062022-236795
CG-DL-E-24062022-236795

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451]
No. 451]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2022/ आषाढ़ 3, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2022/ASHADHA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2022

सा.का.नि. 472(अ)—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

2. विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ..संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों के प्रावधानों के अलावा, ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) के, नियम 126-घ के पश्चात्, निम्नलिखित नया नियम अंतःस्थापित किया जाएगा

"126-ड. भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम (बीएनसीएपी) - (1) अप्रैल 2023 के 1 तारीख से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बीएनसीएपी प्राधिकरण (इसके बाद 'प्राधिकरण' के रूप में उल्लिखित) को समय-समय पर संशोधित ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस)-197 के अनुसार देश में निर्मित या आयातित एम1श्रेणी के अनुमोदित प्रकार के वाहनों का मूल्यांकन करने के लिए सीएमवीआर, 1989 का नियम 126 में उल्लिखित परीक्षण एजेंसी को अधिकृत करेगा। बीएनसीएपी एक स्वैच्छिक कार्यक्रम होगा जिसकी निगरानी प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

उक्त प्रयोजनार्थ, मूल्यांकन के उद्देश्य से वाहनों को विनिर्माता के संयंत्र (त्रों) या आयातक के परिसर (रों) या अधिकृत डीलर (रों) के परिसर से प्राप्त किए जाएंगे।

बशर्ते कि

क. कार विनिर्माता या आयातक स्टार रेटिंग के लिए, प्राधिकरण को प्रपत्र 70-क में आवेदन करेंगे।

ख. प्राधिकरण के संचालन की स्थिति में विनिर्माताओं / आयातकों और प्राधिकरण के बीच किसी भी विवाद के संबंध में न्याय करने का अधिकार न्यायालयों का होगा।

ग. मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ नई कार की लागत संबंधित वाहन विनिर्माता या आयातक द्वारा वहन की जाएगी।

घ. इस नियम में कुछ भी केंद्र सरकार द्वारा नियम 126 के अनुसार टाइप अनुमोदन आवश्यकताओं या सीएमवीआर 1989 की उत्पादन आवश्यकताओं की अनुरूपता से छूट प्राप्त वाहनों पर लागू नहीं होगा।

(2) वाहन चयन प्रक्रिया के अनुसार वाहन लेने के पश्चात्, जैसा कि एआईएस 197 के खंड 4.3 के तहत परिभाषित किया गया है, प्राधिकरण उसे मूल्यांकन के लिए परीक्षण एजेंसी को भेजेगा और एजेंसी मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नामित प्राधिकारी को प्रपत्र 70-ख के अनुसार एक रिपोर्ट भेजेगी।

(3) मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, प्राधिकरण नई कार स्टार रेटिंग को नामित पोर्टल पर अपलोड करेगा जिसे पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।"

(4) उक्त नियमों में प्रपत्र 69 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रपत्र अर्थात् प्रपत्र 70-क और 70-ख अंतःस्थापित किया जायेगा:-

“प्रपत्र सं. 70.क [नियम 126 ड (1) देखें] प्राधिकरण को मोटर वाहन के निर्माता या आयातक या अधिकृत प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो द्वारा जमा किया जाने वाला प्रपत्र			
आवेदन आईडी	(ऑटो जनरेट)	दिनांक	(ऑटो जनरेट)
वाहन चयन की स्थल:			
निर्माता का परिसर / आयातक का परिसर / अधिकृत डीलर का परिसर	(टेक्सट बॉक्स)		
वाहन चयन स्थल का पता	(टेक्सट बॉक्स)		
विनिर्माता/आयातक के एम1 श्रेणी के सभी मॉडलों की पिछले वर्ष की कुल बिक्री मात्रा के बारे में जानकारी			
मॉडल की पिछले साल की बिक्री की मात्रा के बारे में जानकारी			
टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र सं.			
वाहन की कंपनी	(टेक्सट बॉक्स)		
वाहन मॉडल	(टेक्सट बॉक्स)		
चेसिस सं.	(टेक्सट बॉक्स) - कृपया प्रत्येक नमूने का विवरण प्रदान करें		
इंजन नंबर / मोटर आईडी	(टेक्सट बॉक्स) - कृपया प्रत्येक नमूने का विवरण प्रदान करें		
सीएमवीआर द्वारा प्रचलित एआईएस-007 संस्करण के अनुसार अनुमोदित तकनीकी विशिष्टताएं, जो परिक्षण एजेंसी को दी गईं			
उत्पादन बैच और उत्पादन मात्रा का विवरण जिसमें से वाहन का चयन किया गया			
चयनित किए जाने वाले वाहनों/मॉडलों की संख्या।			
प्राधिकरण द्वारा वाहन चयन की तिथि			
<i>(अतिरिक्त जानकारी के लिए और पन्ना जोड़ें, यदि कोई हो)</i>			

मैं/हम, एआईएस-197 और इस नियम में निर्दिष्ट मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए ऊपर निर्दिष्ट मोटर वाहन (वाहनों) को प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के लिए स्वेच्छा से सहमति देते हैं।

.....

(विनिर्माता का पूरा नाम और पता)

दिनांक.....

निर्माता/आयातक/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

कार्यालय अनुमोदन

कार्यालय की संदर्भ सं.....

<p style="text-align: center;">“प्रपत्र सं. 70 ख [नियम 126 ई (2) देखें] परीक्षण एजेंसी द्वारा प्राधिकरण को जमा किया जाने वाला फॉर्म</p>				
आवेदन आईडी	(ऑटो जनरेट)		दिनांक	(ऑटो जनरेट)
टाइप अनुमादेन प्रमाणपत्र सं.				
मूल्यांकन करने वाली परीक्षण एजेंसी का नाम और पता				
वाहन की कंपनी				
वाहन मॉडल				
चेसिस सं.				
इंजन नंबर / मोटर आईडी				
वाहन चयन की तिथि				
परीक्षण एजेंसी द्वारा चयनित वाहन की प्राप्ति की तिथि				
स्थल (लें) जहां परीक्षण किया गया था				
आकलन के लिए प्रासंगिक मानी जाने वाली विशिष्ट रिपोर्ट/संलग्नक।				
निष्कर्ष				
नाम, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं का हस्ताक्षर				
(अतिरिक्त जानकारी के लिए और पन्ना जोड़ें, यदि कोई हो) -				

द्वारा सत्यापित नाम :	द्वारा अनुमोदित नाम :
पदनाम :	पदनाम :

कार्यालय अनुमोदन

कार्यालय की संदर्भ सं.....

[फा. सं. आरटी-11036/78/2022-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, धारा 3, उप-धारा (i) की अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 889 (अ), दिनांकित 16 सितंबर, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. दिनांकित द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th, June 2022

G.S.R. 472(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;
3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (.....th Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), after the rule 126-D, insert the following new rule

“126-E. Bharat New Car Assessment Program (BNCAP) - (1) On and from the 1st day of April 2023, the BNCAP authority, (hereinafter referred to as ‘the Authority’), notified by the Central Government, shall authorise the testing agency referred to in Rule 126 of CMVR 1989 to conduct evaluation on Type Approved vehicles of category M1, manufactured or imported in the country, in accordance with the Automotive Industry Standard (AIS)-197, as amended from time to time. BNCAP shall be a voluntary program monitored by the Authority.

For the said purpose, the vehicles for the purpose of assessment shall be drawn from the Manufacturer’s plant(s) or the importer’s premise(s) or the premises of the authorized dealer(s).

Provided that

- a. Car manufacturer or importer shall make an application for the star rating in FORM 70-A to the Authority.
- b. The courts in the state of operation of the Authority shall have the jurisdiction in relation to any dispute between the Manufacturers/Importers and the Authority.
- c. Cost of new car for the purpose of assessment shall be borne by the respective vehicle manufacturer or importer.
- d. Nothing in this rule shall be applicable to vehicles exempted by the Central Government from Type Approval requirements as per Rule 126 or Conformity of Production requirements of CMVR 1989.

(2) After drawing a vehicle as per vehicle selection process, as defined under clause 4.3 of AIS 197, the Authority shall send the same to the testing agency for evaluation, and that the agency shall send a report as per FORM 70-B to the designated Authority after completion of the evaluation process.

(3) After receiving the assessment report, the Authority shall upload the new car star rating on the designated portal which can be viewed by any person accessing the portal.”

4. In the said rules, after FORM 69, the following FORMS 70-A and 70-B shall be inserted, namely: -

“FORM NO. 70 A			
[see Rule 126 E (1)]			
Form to be submitted by vehicle manufacturer or importer or authorised representative, as the case may be, of a motor vehicle to the authority			
Application ID	(Autogenerate)		Date (Autogenerate)
Site of Vehicle Selection:			
Manufacturer's premises / Importer's premises / Authorised dealer's premises	(text box)		
Address of vehicle selection site	(text box)		
Information about last year's total sales volume of all the models of M1 category of the manufacturer/ importer			
Information about last year's sales volume of the model			
Type approval Certificate No.			
Vehicle Make	(text box)		
Vehicle Model	(text box)		
Chassis No.	(text box) - Please provide details of each sample		
Engine No./ Motor ID	(text box) - Please provide details of each sample		
CMVR approved Technical specifications to the testing agency as per prevalent AIS-007 version.			
Details of production batch and production volume from which vehicle selection was done.			
No of vehicles/models to be selected.			
Date of vehicle selection by authority.			
<i>(Add more sheets for additional information, if any)</i>			

I/We, wilfully consent to transfer of the motor vehicle(s) specified above to the authority for the purpose of evaluation as specified in AIS-197 and this rule.

.....

.....

(Full Name & address of the Manufacturer)

Signature of the

Date.....

Manufacturer/Importer/Authorised representative

OFFICE ENDORSEMENT

Ref. Number.....Office of the.....

“FORM NO. 70 B [see Rule 126 E (2)] Form to be submitted by Testing Agency to the Authority			
Application ID	(Auto generate)	Date	(Auto generate)
Type approval Certificate No.			
Name and address of test agency conducting Assessment			
Vehicle Make			
Vehicle Model			
Chassis No.			
Engine No./ Motor ID			
Date of vehicle selection			
Date of receipt of the selected vehicle by testing agency			
Site(s) where testing was carried out			
Specific Reports / Enclosures considered relevant for Assessment.			
Conclusions			
Name, Signature of Authorised Signatory/ Signatories.			
<i>(Add more sheets for additional information, if any) -</i>			

Verified By		Approved By	
Name :		Name :	
Designation :		Designation :	

OFFICE ENDORSEMENT

Ref. Number.....Office of the.....

[F. No.RT-11036/78/2022-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 889(E), dated the 16th September, 2020 and lastly amended vide Notification number dated.....